सक्षम अधिकारी [illegible] का कार्यालय

[illegible] संख्या 620/2016-17

[illegible] (उ० प्र०) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(क) के अंतर्गत [illegible] कार्यवाही हेतु आदेश।

[illegible] 2074/1990 [illegible] दिनांक [illegible] 2013 [illegible] 2000 [illegible] दिनांक [illegible] 1967 [illegible] दिनांक 05.12.1996 [illegible]

ग्राम परमपुर [illegible] 167 [illegible] खाता संख्या 42 [illegible] 0.07 [illegible] भूमि [illegible]

[illegible]

आराजी 97 [illegible] 58 [illegible]

[illegible] द्वारा [illegible] किया गया है।

[illegible]

[illegible]

[illegible] अनुमति प्रदान की जाती है [illegible]

दिनांक 13.03.2020 [illegible]

27.02.2020

सक्षम अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत माढ़ा वो कमला महतो के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद वर्ष 1984-85 एवं 1995–96 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है .

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा पदमपुर, थाना न0 168 के सर्वे खतियान मे खाता स0 42 रकबा क्रमश 0.07 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास परती कदीम दर्ज है।

राजस्व माग पंजी ii भाग I के पृष्ट स0 51 में माढ़ा वो कमला महतो के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम मे जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान वसूली वर्ष 2014–15 दर्ज है। वर्ष 1969–70 से जमाबंदी कायम है। बंदोबस्ती पंजी एवं भू–दान पंजी में भी दर्ज नहीं है।

संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती / जमाबंदी से संबधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एव अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा पदमपुर थाना न0 168 खाता सं0 42. रकबा 0.07 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत माढ़ा वो कमला महतो के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा पदमपुर थाना नं0 168 खाता सं0 42 रकबा 0.07 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।

लेखापित संशोधित।

अंचल अधिकारी
कर्रा।

अंचल अधिकारी
कर्रा।